राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन – उत्तराखण्ड

तकनीकी मानकः–

1. कृषकों को बी.आई.एस. मार्का फव्वारा/ड्रिप संयत्र विभाग द्वारा किसी भी पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक से निर्धारित मानक के अनुसार संयंत्र क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही अनुदान देय होगा। बी.आई.एस. मानकों की सूची संलग्न है। लाभार्थी किसी भी पंजीकृत निर्माता से एम.आई. उपकरण खरीदने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
2. फव्वारा संयत्र द्वारा <0.4, >0.4-1, >1-2, >2-3, >3-4 व >4-5 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने हेतु क्रमशः 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, व 5.0 हैक्टेयर मॉडल के फव्वारा संयत्र की आवश्यकता होती है। अतः उल्लेखित भू–स्वामित्व के कृषकों को उसके अनुरूप वाछिंत फव्वारा संयंत्र स्थापित करने पर ही अनुदान दिया जा सकेगा।
3. ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी रूप से वाछिंत/पम्प/वेंचुअरी/उर्वरक टैंक/सैण्ड फिल्टर/मीडिया फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर स्थापित करने पर ही नियमानुसार अनुदान देय होगा। उक्त संयंत्र की सांकेतिक इकाई लागत अनुदान गणना हेतु निम्नवत् हैः–

ड्रिप सिंचाई प्रणाली हेतु सांकेतिक लागत सूची

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	लेटरल अन्तराल (मी0xमी0)	0.2 ha	0.4 ha	1.00 ha	2.00 ha	3.00 ha	4.00 ha	5.00 ha
(अ)	विस्तृत दूरी वाली फसलें							
01	12 x 12	10071.250	17231.250	23525.000	37410.000	58083.750	72261.250	92013.750
02	10 x 10	10385.000	17846.250	25051.250	40403.750	62660.000	78483.750	99788.750
03	09 x 09	10612.500	18288.750	26125.000	42548.750	65880.000	82867.500	105273.750
04	08 x 08	10841.250	18860.000	27535.000	45271.250	70108.750	88616.250	112455.000
05	06 x 06	11865.000	20756.250	33188.750	55483.750	89643.750	108712.500	136411.250
06	05 x 05	12576.250	22471.250	37678.750	64297.500	92917.500	118081.250	158656.250
07	04 x 04	13971.250	23276.250	39741.250	69656.250	108657.500	142265.000	169323.750
08	03 x 03	15110.000	25060.000	45688.750	79086.250	121810.000	153191.250	191801.250
09	2.5 x 2.5	18673.750	33865.000	65287.500	118853.750	181533.750	254778.750	311192.500
10	02 x 02	22898.750	39520.000	79497.500	154301.250	224165.000	311417.500	382246.250
(ब)	कम अन्तराल वाली फसलें							
01	1.5 x 1.5	26892.500	44966.250	93046.250	177322.500	264818.750	365743.750	450002.500
02	2.5 x 0.6	19328.750	33488.750	68636.250	126132.500	192766.250	267691.250	328606.250
03	1.8 x 0.6	23508.750	41136.250	87607.500	165816.250	249605.000	339982.500	423381.250
04	1.2 x 0.6	30078.750	54770.000	121997.500	231956.250	351107.500	473682.500	592587.500

मिनी, माइक्रो एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली हेतु सांकेतिक लागत सूची

क्र0सं0	क्षेत्रफल	सांकेतिक लागत (₹ में)
(अ)	माइक्रो स्प्रिंकलर	
01	0.20	21273.750
02	0.40	32187.500
03	1.00	64056.250
04	2.00	112587.500
05	3.00	162287.500
06	4.00	219143.750
07	5.00	277035.000
(ब)	मिनी स्प्रिंकलर	
01	0.20	0.000
02	0.40	44960.000
03	1.00	92621.250
04	2.00	173927.500
05	3.00	264111.250
06	4.00	339947.500
07	5.00	416437.500

क्र0सं0	क्षेत्रफल	सांकेतिक लागत (₹ में)
(स)	**पोर्टेबल स्प्रिंकलर**	
(a)	**for 63 mm**	
01	Up to 0.4 ha	12998.75
02	More then 0.4 ha - 1 ha	21241.25
03	More then 1.0 ha - 2.0 ha	30666.25
(b)	**for 75 mm**	
01	More then 0.4 ha - 1 ha	23805
02	More then 1.0 ha - 2.0 ha	34100
(c)	**for 90 mm**	
01	More then 2.0 ha - 3.0 ha	46027.5
02	More then 3.0 ha - 4.0 ha	58047.5
03	More then 4.0 ha - 5.0 ha	65716.25

अनुदान की सीमा एवं भुगतानः–

1. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में सिंचाई संयंत्र पर देय अनुदान में केन्द्रांश, राज्यांश, एवं कृषकांश का अनुपात लघु/सीमान्त कृषकों तथा अन्य कृषकों हेतु निम्नानुसार होगा –

संयंत्र	कृषक श्रेणी	कुल देय अनुदान प्रतिशत	प्रतिशत अंश		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कृषकांश
ड्रिप/फव्वारा सिंचाई	सामान्य	50	40	10	50
	लघु/सीमान्त	60	50	10	40
ड्रिप/फव्वारा प्रदर्शन	सामान्य	75	75	–	25
	लघु/सीमान्त	75	75	–	25
मानव संशाधन एवं विकास	निर्धारित मानकों के अन्तर्गत	100	100	–	–

2. एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र में (ड्रिप संयंत्र एवं फव्वारा संयंत्र स्थापना का कुल क्षेत्र) ही अनुदान दिया जायेगा। प्रदर्शन हेतु अनुदान अधिकतम 0.50 हैक्टर क्षेत्र प्रति लाभार्थी देय होगा।
3. जिन कृषकों ने पूर्व में 5 हैक्टर से कम क्षेत्र हेतु अनुदान लिया है उन्हें 5 हैक्टर तक की सीमा में विस्तार हेतु देय अनुदान की गणना फव्वारा/ड्रिप अनुदान की तालिका में उल्लेखित क्षेत्रवार अनुदान राशि के अनुसार की जायेगी।
4. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के विभिन्न मॉडलों पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा तालिका में उल्लेखित अनुदान के अनुसार देय होगी।
5. संरक्षित खेती हेतु इस योजना के तहत स्थापित संयंत्रों पर अनुदान न्यून अंतराल ड्रिप के अनुसार देय होगा। संरक्षित खेती ढॉचों पर अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उक्त ढॉचें का निर्माण जिस योजना के तहत हुआ है उसमें लाभार्थी द्वारा अनुदान प्रावधान का लाभ पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत तो नहीं लिया गया है।
6. तालिका में उल्लेखित फसल अन्तराल के अतिरिक्त यदि ड्रिप संयंत्र अन्य अन्तराल पर कृषक के प्रक्षेत्र पर फसल में स्थापित है तो उस अन्तराल के निकटतम अन्तराल वाली अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जाये अथवा औसत के आधार पर भी कृषक को अनुदान दिया जा सकता है।
7. अन्तराशष्य वाली फसलों में ड्रिप संयंत्र स्थापना पर अनुदान एक ही फसल, जो कि कृषक द्वारा चयनित की गई है, के लिये देय होगा।
8. यदि कृषक द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक फसलों हेतु अनुदान की मांग की गई है तो उसे अलग–अलग फसल अन्तरालों पर विभिन्न फसलों हेतु अनुदान दिया जा सकता है।
9. ड्रिप प्रदर्शन राज्य एवं भारत सरकार, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, प्रगतिशील कृषक एवं गैर सरकारी संगठनों के फार्मो पर लगाया जा सकेगा लेकिन प्रदर्शन उस संस्थान की स्वंय की भूमि पर ही आयोजित किया जा सकेगा।